भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3451
उत्तर देने की तारीख-10/08/2026

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में बीच से पढ़ाई छोड़ने वाले छात्र

†3451. श्री सु. वेंकटेशन:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन शैक्षणिक वर्षों के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई.आई.टी.) से अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के कितने छात्रों ने बीच में पढ़ाई छोड़ी है;
(ख) इस प्रकार से बीच में पढ़ाई छोड़ने के क्या कारण हैं;
(ग) क्या समान अवसर प्रकोष्ठों ने इस प्रकार से बीच में पढ़ाई छोड़ने को रोकने के लिए कोई उपाय किए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सभी आई.आई.टी. में समान अवसर प्रकोष्ठ हैं और यदि हाँ, तो ऐसे प्रकोष्ठों वाले आई.आई.टी. का ब्यौरा क्या है; और
(ङ.) विगत तीन शैक्षणिक वर्षों के दौरान समान अवसर प्रकोष्ठों ने संस्थान-वार कुल कितनी बार बैठकें कीं और कितना कार्य-निष्पादन किया है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ङ): उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में, छात्रों के पास किसी विशेष संस्थान में प्रवेश लेने के बाद भी कई विकल्प होते हैं। कभी-कभी छात्र एक स्ट्रीम में शामिल हो जाते हैं लेकिन उसी या दूसरे संस्थान में दूसरी स्ट्रीम में शिफ्ट होने का विकल्प चुनते हैं। कभी-कभी, छात्र, किसी संस्थान में प्रवेश लेने के बाद, भारत या विदेश में किसी अन्य संस्थान को छोड़ देते हैं और प्रवेश ले लेते हैं। कुछ मामलों में, संयुक्त पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्र केवल एक पाठ्यक्रम पूरा करते हैं और कार्य से जुड़ते हैं। छात्र भी चिकित्सा कारणों से संस्थान छोड़ देते हैं और उन्हें ब्रेक के बाद वापस शामिल होने की अनुमति दी जाती है।कई छात्र इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करते हैं और चिकित्सा में चयन होने पर, इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ सकते हैं या इसके विपरीत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में छात्रों को

शैक्षणिक कार्यक्रमों में कई प्रवेश और निकास का विकल्प प्रदान करके उच्चतर शिक्षा में अधिक लचीलेपन की भी परिकल्पना की गई है। इस नीति में लचीली पाठ्यचर्या संरचनाओं का प्रावधान है जो छात्रों को विभिन्न चरणों में कार्यक्रमों में प्रवेश करने और बाहर निकलने में सक्षम बनाती है, जिससे सख्त सीमाओं को हटाया जा सकता है और आजीवन अधिगम की सुविधा मिलती है।

सरकार समाज के सभी वर्गों को देश भर में उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा तक समान पहुंच प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) में उच्चतर शिक्षा को किफायती बनाने के लिए, न केवल सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग को बल्कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी स्नातक (यूजी) कार्यक्रम की शिक्षण शुल्क में छूट प्रदान की जाती है। इसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पीडब्ल्यूडी छात्रों के लिए पूर्ण शुल्क माफी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों (जिनके परिवार की आय 1 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है) के लिए शुल्क की पूर्ण छूट और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों (जिनके परिवार की आय 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये प्रति वर्ष के बीच है) के लिए शुल्क की 2/3 छूट भी शामिल है।

इसके अलावा, उच्चतर शिक्षा में पहुंच बढ़ाने के लिए, सरकार ने वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति जैसे प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (पीएमयूएसपी) योजना, वंचित समूहों की शुल्क माफी/कटौती, पीएम विद्यालक्ष्मी योजना जैसे अध्ययन ऋण, अधिक संस्थानों की स्थापना, परामर्श प्रकोष्ठों की स्थापना, शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ करने जैसी छात्र सहायता प्रणाली, कोचिंग प्रदान करना, ऑनलाइन और डिजिटल लर्निंग (ओडीएल) के तहत पहल जैसे स्वयम, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (एनडीएल) और ई-पीजी पाठशाला जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं। इसके अलावा, एनईपी 2020 को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक सुधारों के लिए कई पहल जैसे एकाधिक प्रवेश और निकास विकल्प, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी), विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली(सीबीसीएस) आदि की गई हैं ।

वंचित समूहों के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करने, शैक्षणिक, वित्तीय, सामाजिक और अन्य मामलों के संबंध में मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने और परिसरों के भीतर विविधता को बढ़ाने के लिए आईआईटी में समान अवसर प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के किसी भी मामले का सक्रिय रूप से समाधान करने के लिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों सहित संस्थानों ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र प्रकोष्ठ, छात्र शिकायत प्रकोष्ठ, छात्र शिकायत समिति, छात्र सामाजिक क्लब, संपर्क अधिकारी, संपर्क समिति आदि जैसे तंत्र स्थापित किए हैं।
